न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश लखीमपुर–खीरी।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–874/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–1999/2026

हुसैन अहमद आयु लगभग 45 वर्ष पुत्र शमीम निवासी ग्राम रघवापुर थाना फूलबेहड़ जिला लखीमपुर खीरी। ———————— अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य ———————— अभियोजन।

मु0अ0सं0–151/2026
धारा–309(4), 317(2) बी0एन0एस0
थाना–मैगलगंज
जिला–लखीमपुर खीरी।

दिनांक 04.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त हुसैन अहमद की ओर से थाना–मैगलगंज, जिला–खीरी, के मु0अ0सं0–151/2026, धारा–309(4), 317(2) बी0एन0एस0 में उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र, जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रा0पत्र एवं शपथपत्र तथा अन्य प्रपत्रों को संदर्भित करते हुए यह कहा गया है कि प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी सत्र न्यायालय में विचाराधीन नही है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त को रंजिश कारण फर्जी फंसाया गया हैं। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नही किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा की जावे।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रा0पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 06.04.2026 समय 09.00 बजे रात में वादिनी मुकदमा के कानों के कुंडल छीन लिया और गाली गलौज की। दिनांक 24.05.2026 को पुलिस दल द्वारा अभियुक्त व सहअभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से उक्त चोरी के कुंडल की बरामदगी हुई है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

मैंने, प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 06.04.26 को समय 21.00 बजे वादिनी मुकदमा के दोनो कानों के कुंडल छीनने व गाली गलौज करने का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। केस डायरी के पर्चा सं0–18 के क्रम–2 पर फर्द बरामदगी में दिनांक 24–05–2026 को

पुलिस द्वारा अभियुक्त व सहअभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना व अभियुक्त के कब्जे से 1000/रूपये व एक अदद पीली धातू का कुंडल बरामद किये जाने का उल्लेख है। मामले मे बरामदगी के समय जनता का कोई स्वतन्त्र गवाह नही दिखाया गया है। थाने से प्रार्थी/अभियुक्त का दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास प्राप्त है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सह अभियुक्त की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना, न्यायालय की राय में जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त हुसैन अहमद द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का स्व–बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे दौरान मुकदमा निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाय–

1. अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।
2. अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
3. अभियुक्त, अभियोजन साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परिचालित परिपत्र सं0 19/एडमीन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत अभियुक्त के जमानतनामें को स्वीकृत करते समय प्रतिभूतिओं के स्थाई व अस्थाई पता विवरण के साथ प्रतिभूओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किये जायेंगे।

दिनांक 04.07.2026

(राजेश्वरी टोलिया)
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश
लखीमपुर खीरी।
JO CODE No. UP6162

Digitally signed by RAJESHWARI TOLIA
Date: 2026.07.04 17:10:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court